

**रोगी कल्याण समिति जिला चिकित्सालय सिवनी
साधारण सभा की संरचना**

क्रमांक	पदाधिकारी	पद
1	जिले के प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
2	लोकसभा सदस्य	सदस्य
3	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद	सदस्य
4	विधायक (सिवनी)	सदस्य
5	विधायक (बरघाट)	सदस्य
6	विधायक (केवलारी)	सदस्य
7	विधायक (लखनादौन)	सदस्य
8	अध्यक्ष, जिला पंचायत सिवनी	सदस्य
9	जिलाध्यक्ष, सिवनी	सदस्य
10	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
11	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी	सदस्य
12	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सिवनी	सदस्य
13	संभागीय अभियंत्रा, म0प्र0 राज्य विद्युत मंडल	सदस्य
14	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सिवनी	सदस्य
12	जिला जन संपर्क अधिकारी सिवनी	सदस्य
13	अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सिवनी	सदस्य
14	एक दानदाता	सदस्य
15	जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित दो गणमान्य नागरिक	सदस्य
16	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक सिवनी	सदस्य सचिव

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक सिवनी म0प्र0

रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी समिति की संरचना

क्रमांक	पदाधिकारी	पद
1	जिलाध्यक्ष	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग	सदस्य
3	मुख्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
4	दो वरिष्ठ चिकित्सक	सदस्य
5	मुख्य कार्यपालन यंत्री लोक स्वा0 यांत्रिकी विभाग	सदस्य
6	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	सदस्य
7	महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
8	जिला जनसंपर्क अधिकारी	सदस्य
9	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	सदस्य सचिव
10	प्रभारी अधिकारी जिला चिकित्सालय सिवनी	सदस्य
11	जिला कार्यक्रम प्रबंधक एन.एच.एम.	सदस्य
12	अस्पताल प्रबंधक	सदस्य

जिला रोगी कल्याण समिति, सिवनी

1. जिला रोगी कल्याण समिति: जिला चिकित्सालय सिवनी में वर्ष -1996 से रोगी कल्याण समिति गठित है , जिसका पंजीयन क्रमांक जे .एस.2412 दिनांक 16.01.1996 है।
2. रोगी कल्याण समिति के कार्य:-
 - रोगी कल्याण समिति अस्पताल में मरीजों के लिये बहेतर सुविधायें उपलब्ध कराने एवं अस्पताल प्रबंधन के लिये अधिकृत है। रोगी कल्याण समिति को अस्पताल की सेवाओं की आवश्यकताओं के हिसाब से प्रबंधन व्यवस्था और गतिविधियाँ संचालित करने के लिये स्वतंत्रता दी गई है।
 - स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रबंधन को बेतहर बनाने में जन सहयोग एवं स्वयंसेवी संगठनों की मदद लेना तथा संबंधित शासकीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
 - अस्पताल भवन परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाये रखना तथा अंवाछित गतिविधियों पर रोक लगाना।
 - अस्पताल में आवश्यक सुविधाओं का उपलब्धता जैसे अस्पताल में स्वच्छ पेयजल , साफ-सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था, जैव अपशिष्ट, मरीज के परिजनों के लिये विश्रामलय एवं ठहरने की व्यवस्था, धूप पानी से बचाव के लिये शैड निर्माण , मरीजों के लिये भोजन , लांडी सुविधा, कैन्टीन, औषधियों की उपलब्धता , निःशुल्क जांच व्यवस्था , रोगी वाहन की उपलब्धता , चिकित्सकों के लिये ड्यूटी वाहन की व्यवस्था , आकस्मिता की स्थिति में रक्त की उपलब्धता, मरीजों की शिकायतों का निवारण,

रोगी कल्याण कार्यकारी समिति के सदस्य:- मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक/एफ/ 10-5/2018/सत्रह/मेडि-2 भोपाल दिनांक 29.05.2018 के माध्यम से प्राप्त रोगी कल्याण समिति दिशा - निर्देश अनुसार

कलेक्टर	-	अध्यक्ष
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	-	सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.विभाग	-	सदस्य
कार्यपालन यंत्री लो.स्वा.यांत्रिकी	-	सदस्य
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	-	सदस्य
चिकित्सालय के दो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एक महिला चिकित्सक सहित (डॉ. विनोद नावकर, डॉ. राजेश्वरी कुशराम)	-	सदस्य
जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय के प्रतिनिधि	-	सदस्य
आर0एम0ओ0 जिला चिकित्सालय (डा.पी0 सूर्या)	-	सदस्य
जिला जनसम्पर्क अधिकारी	-	सदस्य
एक दान दाता (न्यूनतम दान राशि रू 10.00लाख)	-	सदस्य (कोई नहीं)
जिला अध्यक्ष द्वारा नामांकित एक सदस्य	-	सदस्य (कोई नहीं)

जिला चिकित्सालय प्रशासक/प्रबंधक -	सदस्य
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक -	सदस्य, सचिव
जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. -	सदस्य
उपयंत्री, एन.एच.एम. -	सदस्य

रोगी कल्याण समिति की आवक की मदें :- (बी.पी.एल., दीन दयाल कार्ड धारी, वरिष्ठ नागरिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मीसा बंदी, पेंशनर्स, जननी हितग्राही, एन.आर.सी. के बच्चे, एस.एन.सी.यू. के बच्चे, राष्ट्रीय कार्यक्रम के कैम्पों के हितग्राही उक्त समस्त निःशुल्क)

1. दान से प्राप्त आय
2. मेडीकल बोर्ड शुल्क से प्राप्त आय :- 250 प्रति व्यक्ति (75 शासकीय, 175 रोगी कल्याण समिति)
3. प्रायवेट वार्ड शुल्क, रूम चार्ज :-

बड़ा कमरा विथ ए.सी.	:-	606 रू प्रतिदिन (6 रू शासकीय)
छोटा कमरा :	-	406 रू प्रतिदिन
प्रायवेट वार्ड आवेदन फार्म- :-		2 रू प्रतिनग
4. आई.सी.सी.यू. :-

वेड चार्जेस	:-	500 रू प्रति दिन
ई.सी.जी. चार्जेस :	-	100 रू प्रति
डायलिसिस चार्जेस	:-	500 रू प्रति डायलिसिस

ए.पी.एल. (बी.पी.एल. फ्री)
5. एक्स-रे चार्जेस :- 100 रू प्रति एक्सरा, मेडीकल बोर्ड के मात्र
6. पैथोलाजी चार्जेस :- केवल मेडीकल बोर्ड के परीक्षण के समय
7. रक्ताधान चार्जेस :- प्रायवेट चिकित्सालयों में ब्लड बैंक से रक्त लेने पर 1050/-
8. एम्बुलेंस चार्जेस :- शहरी क्षेत्र में 200/-
(शव वाहन) :-

नगर पालिका क्षेत्र से वाहर आस-पास :	-	8/-कि.मी.
नागपुर मरीज लेकर जाने पर	:-	1500 प्रति
जबलपुर मरीज लेकर जाने पर	:-	1700 प्रति
9. प्रिसर में संचालित केंटीन किराया प्रतिमाह : - राशि रू 17575=00
10. ओ.पी.डी. पंजीयन शुल्क से

सुबह 8 से 1 बजे	:-	10/-
दोपहर 2 से 5 तक :-		20/-

(रात्रि 8 से सुबह 8 तक)
11. भर्ती शुल्क :- 30/- प्रति मरीज
12. रोगी कल्याण समिति दुकान किराया:- 46 बडी दुकाने :- 750/- प्रतिमाह-34500/-
75 छोटी दुकाने :- 500 प्रतिमाह 37500/-
14. सायकल स्टेण्ड ठेके से एक मुश्त प्राप्त राशि
15. इसके अलावा समय-समय पर होने वाली निविदा प्रपत्र शुल्क, चिकित्सालय में प्रायवेट संस्थाओं के प्रशिक्षार्थियों के क्लीनिकल प्रशिक्षण का शुल्क पैरामेडीकल प्रति प्रशिक्षार्थी 1000/- के मान से शुल्क,

नर्सिंग का 5000/- प्रति प्रशिक्षार्थी दुकानों के नाम परिवर्तन का शुल्क , या अन्य किसी प्रकार नीलामी अथवा अन्य आय।

रोगी कल्याण समिति की खर्चों की मदें:-

1. कर्मचारियों का मानदेय भुगतान :-

1- दंत चिकित्सक	1	-	20,000=00 प्रतिमाह
2- डायटीशियन	1	-	12,000=00 प्रतिमाह
3- डाटा मैनेजर	1	-	12,000=00 प्रतिमाह
4- तार मिस्त्री	1	-	10000=00 प्रतिमाह
5- माली	1	-	9000 =00 प्रतिमाह
6- वाहन चालक	2	-	5,000=00 प्रतिमाह

2. रोगी कल्याण समिति के वाहन (3) :-

1. एम .पी.22 जी 3253 एम्बुलेंस वाहन
2. एम .पी.22 बी.ए.01117 रेडक्रास शव वाहन
3. एम.पी. 22 सी.एस.0416 कॉलवेन चिकि.हेतु

3. वाहनों के रख रखाव, एंथोरेंस, मरम्मत एवं पी0ओ0एल0 पर प्रतिमाह व्यय

4. मेडीकल बोर्ड में नेत्र चिकित्सक की सेवाएं लेने का प्रति बोर्ड 500/- के मान से प्रायवेट नेत्र चिकित्सक को भुगतान ।

5. ओ.पी.डी. पंजीयन हेतु पेपर के क्रय एवं कम्प्यूटर प्रिंटर के कार्टेज पर व्यय।

6. आवश्यकता पडने पर चिकित्सालय के बड़े उपकरणों अथवा सामग्री के क्रय पर व्यय।

7. जिला चिकित्सालय के आवश्यक निर्माण कार्यो अथवा सुधार कार्यो में जन भागीदारी से व्यय।

8. रक्तदाताओं के लिए रक्ताधान के उपरांत दिए जाने वाले रिफ्रेशमेंट का क्रय।

9. आई.सी.सी.यू. के रख रखाव एवं उपकरणों के संधारण पर व्यय ।

10. आई.सी.सी.यू. की सोनो ग्राफी मशीन के पंजीयन शुल्क पर व्यय।

11. आर.एम.ओ. को प्रतिमाह दैनिक खर्चों हेतु राशि रू 20000=00 अग्रिम।

12. एन.एच.एम. से विविध कार्यो हेतु प्राप्त आवंटन से होने वाले व्यय।

13. एन.एच.एम. सपोर्ट स्टाफ का मासिक भुगतान । 18 कर्मचारी।

1. एस.एन.सी.यू- 11 कर्मचारी
2. एन.आर.सी. - 05 कर्मचारी
3. सिटी डिस्पें. 01 कर्मचारी
4. टीकाकरण 01 कर्मचारी

टीप :-

1. जिला चिकित्सालय सिवनी की रोगी कल्याण समिति से बैठक के स्व ल्पाहार, चाय, स्वागत, सत्कार, व्हीव्यवस्था.पी.आई., ठहरने की व्यवस्था, किराये से वाहन परिवहन पर व्यय नहीं किया जाता है ।
2. बी.पी.एल.,दीन दयाल कार्ड धारी ,वरिष्ठ नागरिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मीसा बंदी, पेंशनर्स, जननी हितग्राही, एन.आर.सी. के बच्चे, एस.एन.सी.यू. के बच्चे, राष्ट्रीय कार्यक्रम के कैम्पों के हितग्राही उक्त समस्तनिःशुल्क ।

सचिव

रोगी कल्याण समिति

जिला चिकित्सालय सिवनी